(15)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/1783 जयपुर, दिनांकः 01.05.2018

आदेश

विषय : पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान नगर पालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू माने गये हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

''127 क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :–

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को :–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा। जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित –

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जायेगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा; तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज जो निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टिओं को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।''

निर्वाचनों के समय यह पाया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित किया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित विधि की अपेक्षाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है। मुद्रणालयों द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 127–क की अपेक्षानुसार प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र के साथ मुद्रित दस्तावेजों को यदा–कदा ही भेजा जाता है। निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुख पृष्ठ पर धारा 127–क (1) के उपबंध के अनुसार उसके मुद्रक (Printer) और या प्रकाशक (Publisher) के नाम और पते प्रायः मुद्रित नहीं किये जाते।

उक्त धारा–127–क के अन्तर्गत निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण इस दृष्टि से आरोपित किए गए हैं कि ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) की पहचान स्थापित हो सके, जिससे कि यदि ऐसे दस्तावेज में कोई ऐसी विषय वस्तु हो जो विधि विरूद्ध (अवैध) हो, क्षतिकारक या आपत्तिजनक हो (यथा धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, या किसी विपक्षी इत्यादि के चरित्र हनन की सामग्री) तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सके।

अतः ऊपर उल्लिखित विषय और कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन और अनुसरण किये जाने के आशय से राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद–243–K एवं 243–ZA के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु जारी आदेश क्रमांक प.7(1)(28)पं.चु./रानिआ/99/4364 दिनांक 22.12.2000 को अधिक्रमित करते हुए नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हैः–

(i) जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के साधारण या किसी उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वैसे ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के तीन दिन के भीतर अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को–

(क) उक्त धारा 127–क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए और विशेष रूप से यह निर्देश देते हुए लिखेगा कि उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये में स्पष्ट रूप से उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित किया जाए,

(ख) उक्त धारा 127–क की उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक से प्राप्त किये गये घोषणा–पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर भेजने के लिए मुद्रकों (Printers) को लिखेगा,

(ग) यह लिखेगा कि धारा 127–क के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण को गम्भीरता पूर्वक लिया जाएगा और उपर्युक्त मामलों में राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्रों को समाप्त किये जाने सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर शहर में स्थित मुद्रणालयों के संबंध में भी समान रूप से कार्यवाही करेगा।

(iii) निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों, आदि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व प्रत्येक मुद्रक धारा 127–क की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट–क'' (प्रति संलग्न) में प्रकाशक (Publisher) से हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित भी किया जायेगा जो प्रकाशक (Publisher) को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य निर्वाचन आयोग) या जिला मजिस्ट्रेट (जैसी भी स्थिति हो) को उसे प्रेषित करते समय, मुद्रक (Printer) द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाएगा।

(iv) जैसा ऊपर निर्देश दिया गया है, मुद्रक (Printer) द्वारा प्रकाशक (Publisher) के घोषणा–पत्र के साथ मुद्रित सामग्री की चार (4) प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी मुद्रित सामग्री और घोषणा–पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट–ख'' (प्रति संलग्न) में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये ली गयी

कीमत से संबंधित सूचना भी मुद्रक (Printer) द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। मुद्रक (Printer) द्वारा प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के संबंध में ऐसी सूचना प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन के भीतर सामूहिक रूप से नहीं अपितु अलग–अलग प्रस्तुत की जायेगी।

(v) किसी मुद्रणालय से पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेगा कि प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) ने कानून की और ऊपर दिये गये आयोग के निर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान/नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवाएगा, जिससे कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्ति इस बात की जांच कर सकें कि ऐसे दस्तावेजों से संबंधित कानून की अपेक्षाओं का सम्यक अनुपालन हुआ है या नहीं और इस प्रकार से वे ऐसे अन्य निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मामलों की जिनके संबंध में ऊपर दिये गये कानून की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ हैं, संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में ला सकने में सक्षम होंगे।

(vi) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जयपुर शहर के मुद्रणालयों से प्राप्त पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदिकी 4 प्रतियों मे से दो प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय को भेजी जायेगी।

(vii) धारा 127–क के प्रावधानों के और आयोग के उक्त निर्देशों के अतिक्रमण/उल्लंघन में प्रकाशित किन्हीं पैम्फलेटों, पोस्टर आदि का मामला यदि जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आता है या लाया जाता है तो सम्यक जांच उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कार्यवाही की जावें।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर कानून एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से
ह0
(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

परिशिष्ट–क

निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क देखे)

मैं.....(नाम)
पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री.....(नाम) निवासी .....
.....
.....(पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं.....
.....(नाम) .....
.....(निर्वाचन पोस्टरों, पर्चो–आदि मुद्रित सामग्री का विवरण) का प्रकाशक हूं जो .....
..... (छापेखाने का नाम) द्वारा छापे जा रहे हैं।

स्थान .....

दिनांक.....

पूरा पता.....

.....

प्रकाशक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित
(ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानता हो)

1. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

परिशिष्ट–ख

मुद्रक द्वारा निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप

1. मुद्रक का नाम व पता .....
2. प्रकाशक का नाम व पता .....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तिथि .....
4. प्रकाशन की घोषणा की तिथि .....
5. निर्वाचन पोस्टर पर्चे इत्यादि के बारे में संक्षिप्त विवरण .....
6. उपर वर्णित दस्तावेज की मुद्रित प्रतियों की संख्या .....
7. मुद्रण की तिथि .....
8. उपर वर्णित दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से वसूल किया गया मुद्रण प्रभार (कागज की कीमत सहित) .....

स्थान :

तिथि :

मुद्रक के हस्ताक्षर मय सील